न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-3772-III/14 Rs. 20/-

01. बेवा छोटकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुग्रीव प्रसाद उम्र 65 वर्ष

02. रामनरेश तनय स्व0 श्री सुग्रीव प्रसाद उम्र 47 वर्ष

03. भण्डारी लाल तनय स्व0 श्री सुग्रीव प्रसाद उम्र 38 वर्ष

तीनों निवासी ग्राम कल्याणपुर–57, राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा, तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

04. छदम्मी लाल चर्मकार तनय श्री कलुआ चर्मकार, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया (निबिहा) राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा, तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

..................निगरानीकर्तागण

बनाम

राजदुलारी सिंह पत्नी श्री कामता सिंह निवासी ग्राम कोहला, राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा, तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

........गैरनिगरानीकर्ता

महेन्द्र सिंह एड. के द्वारा आज दिनांक 17.10.14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3446 आज दिनांक 29.10.14 को प्राप्त। राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा, तहसील जवा जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्रं0 49/ए–12/ 2013–14, आदेश दिनांक 10.08.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

01. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपनी भूमि क्रं0 159/1 रकवा 2.352हे0 एवं 267/1 रकवा 4.047हे0 कुंल किता दो कुल रकवा 6.399हे0 का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–3772/तीन/14 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश छोटकी /राजदुलारी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण राजस्व निरीक्षक मण्डल, डभौरा तहसील जवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक–49/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक–10.8.14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न सीमांकन संबंधी अधिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनावेदक के आवेदन पर भूमि सर्वे कमांक–159/1 एवं 267/1 का सीमांकन हल्का पटवारी से कराया गया । हल्का पटवारी द्वारा विधिवत सूचना पत्र जारी कर आम जनता के समक्ष स्थयी सीमा चिन्ह आम रास्ता आ.नं. 158 को आधार मान कर सीमांकन किया जाना परिलक्षित हो रहा है । सीमांकन के संबंध में पंचनामा एवं फील्डबुक भी तैयार की गयी है, जो पृथक–2 दोनों सर्वे कमांकों की स्पष्ट है । अतः उपरोक्त विश्लेषण क आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो । सदस्य 1.12.15	1